

संख्या: 136/S.L.D.E/12-13

प्रेषक,

श्री कुमार कमलेश,  
प्रमुख सचिव,  
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाअधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-

लखनऊ: दिनांक 7 अगस्त, 2012

विषय:-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) योजना के अर्न्तगत डब्लू0सी0डी0सी0,पी0आई0ए0,डब्लू0सी0 स्तर पर रखे जाने वाली लेखा संबंधी अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि भारत सरकार द्वारा संचालित आई0डब्लू0एम0पी0योजना प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में संचालित है, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश तथा राज्यांश की धनराशि राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) के माध्यम से जनपद में कार्यरत इकाइयों को भेजी जाती है। भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 1222/54-1-2011/8 (9)/2008 दिनांक 19 दिसम्बर 2011 द्वारा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जिला वाटरशेड, डाटा सेन्टर (डब्लू0सी0डी0सी0) का गठन किया गया है। आई0डब्लू0एम0पी0 योजना के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन डब्लू0सी0डी0सी0, पी0आई0ए0, डब्लू0सी0 स्तर पर व्यय की जानी है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के पत्र सं0 के-11012/23/2009/आई0डब्लू0एम0पी0 (आई0एस0)/ दिनांक 23.12.09 द्वारा डब्लू0सी0डी0सी0, पी0आई0ए0, डब्लू0सी0 स्तर पर होने वाली व्यय की धनराशि के लेखों के रख रखाव करने हेतु कमश: 05, 06 तथा 12 रजिस्टर का प्राविधान किया है जो निम्न प्रकार हैं।

1. जनपद में डब्लू0सी0डी0सी0 स्तर पर:- 01. चेकबुक रजिस्टर, 02. ग्रान्ट रिसीव्ड फ्राम सेन्टर/स्टेट रजिस्टर 03. ग्रांट डिब्ट्रीव्यूशन रजिस्टर 04. वाटर शेड कमेटी एवं पी0आई0ए0 से प्राप्त यू0सी0 का रजिस्टर 05. मदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का रजिस्टर।
2. पी0आई0ए0 स्तर पर :-01. राज्य से प्राप्त ग्रान्ट रजिस्टर 02. डी0आर0डी0ए0 को प्रेषित यू0सी0 का रजिस्टर 03. बैंक पासबुक एवं चेक रजिस्टर 04. बैंक समाधान विवरण रजिस्टर 05. वाटर शेड कमेटी से प्राप्त यू0सी0 का रजिस्टर 06. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

